FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

1. *सरकार जर्ये बीज निरीक्षक* कार्या0 सहा0 निदेशक कृषि विस्तार सांगोद जिला कोटा

——प्रार्थी.

बनाम

1. श्री मुमताज अली आत्मज पीर मोहम्मद निवासी ग्राम धुलेट तहसील सांगोद जिला कोटा राज0

——अप्रार्थी.

जप्तसुदा उर्वरक यूरिया के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1985

प्रकरण 27/2011, जीसीएमएस नं0 2011/00056

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.2022	पत्रावली पेश हुई। राजकीय अभिभाषक उपस्थित एवं वकील प्रार्थी उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई । प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि बीज निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 10.11.2011 को एसडीएम सांगोद के दूरभाष सूचना पर धूलेट स्थित संस्थान भारत किराना स्टोर की दुकान का निरीक्षण किया । जिसमें वगेर अधिकृत पत्र के उर्वरक का भण्डार /बेचान किया जारहा था जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन है । अतः दिनांक 10.11.2011 को मैसर्स भारत किराना स्टोर के प्रतिष्ठान में भंडारित यूरिया 56 बेग उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28/1डी के तहत जप्त किया उपरोक्त 56 बेग यूरिया ग्राम सेवासहकारी समिति धूलेट में सुरक्षित रख दिया गया है तथा जप्ती की सूचना तथा प्रकरण की प्राथमिकी थाना कनवास में एफ आई आर संख्या 210/11 दिनांक 10.11.2011 के द्वारा दर्ज करवाई गई । अतः उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा–6 के तहत इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि जप्तशुदा उर्वरक के निस्तारण हेतु उचित आदेश जारी करने का श्रम करावें । प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट जमील अहमद का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है किउनके द्वारा श्री मांगीलाल पुत्र सूरजमल निवासी ग्राम खेडा किशनपुरा तह0 सांगोद की 17 बीघा कृषि भूमि वर्ष 2011 के लिये 15000/– में भैरूलाल पुत्र नारायण निवासी धुलेट की 55 बीघा वर्ष 2011 के लिए एवं बसन्तीलाल पुत्र	

न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

इन्वान – सरकार / मुमताज अली प्र.सं० – 27/2011

किशनगोपाल निवासी ग्राम हाल मुकाम धुलेट की 20 बीघा 12 बिस्वा व 5 बीघा कृषि भूमि 20000/– पांती में वर्ष 2011 के लिये पांती पर प्रार्थी द्वारा ली गई । काश्तकारों के शपथ पत्र संलग्न है । प्रार्थी ने डी ए पी तथा यूरिया खरीद किया उसके बिल की फोटो कॉपी भी संलग्न की जा रही है । प्रार्थी ने यूरिया काश्त की गरज से खरीदा तथा रखा हुआ था । प्रार्थी के 56 कट्टे यूरिया रिलीज फरमाया जावें तथा प्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही एवं नोटिस ड्रॉप फरमाया जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । राजकीय अभिभाषक एव वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया । चूंकि अप्रार्थी द्वारा अपनी किराने की दुकान पर बिना लाईसेंस के यूरिया एवं डीएपी के 56 कट्टे अवैध रूप से भण्डारण किये हुए पाए जाने पर बीज निरीक्षक द्वारा जप्त सरकार कर ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगोद की सुपुर्दगी में दिये हुए है । बिना लाईसेंस के अत्यधिक मात्रा मे उर्वरक का भण्डारण नियम विरूद्व एवं 3/7 का अपराध होने से अप्रार्थी के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज होकर मामला सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत कार्यवाही हेतु इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया है । चूंकि मामला सिविल न्यायालय में वर्तमान में भी विचाराधीन है, तथा 6ए के तहत यह प्रकरण वर्ष 2011 से इस न्यायालय में विचाराधीन है, राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश होने से यह प्रकरण हम माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रखते हुए निर्णित करना उचित पाते है ।

जप्तसुदा उर्वरक के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कृषि कार्य के लिए क्रय करना बताया है जबकि मौके पर यह उर्वरक अप्रार्थी की किराने की दुकान में भण्डारण पाया गया है, इससे तो यह सिद्व हो जाता है कि उर्वरक का अवैधरूप से बिना लाईसेंस के भण्डारण किया गया है जो नियम विरूद्व होने से राजसात योग्य है, मामला माननीय सिविल न्यायालय में भी 3/7 के अन्तर्गत विचाराधीन है । अतः जप्तसुदा माल 56 कट्टे डीएपी एवं यूरिया के राजसात करने के आदेश दिये जाते है । उक्त जप्तसुदा उर्वरक की वर्तमान कीमत अनुसार निलामी से निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करावें । यह निर्णय माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगा । माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार जप्त उर्वरक की नीलामी राशी का निस्तारण हो सकेगा । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी को पालनार्थ प्रेषित की जावें । बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा